साढ़े 12 एकड़ से अधिक जमीन लेने पर दी जाएगी यह सुविधा

उद्योगों के लिए जमीन लेने पर नहीं बतानी होगी जाति

राहत

लखनऊ, विशेष संवाददाता। राज्य सरकार यूपी में उद्योग लगाने वालों को जमीन लेने और भू-उपयोग बदलने में आने वाली दिक्कतों को समाप्त करते हुए बड़ी राहत देने जा रही है। उद्योगों के लिए साढ़े 12 एकड़ से अधिक जमीन लेने वालों को अब खातेदार, सहखातेदार और जाति का नाम नहीं बताना होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में संशोधन संबंधी प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट से मंजूर कराने की तैयारी है।

मात्र देने होगी पांच सूचनाएं: यूपी में उद्योग के लिए जमीन लेने में अभी कई बाधाएं हैं। आठ बिंदुओं पर जानकारी देने के बाद ही जमीन लेने की सुविधा है। इसमें जिला, तहसील, परगना, ग्राम, गाटा संख्या, क्षेत्रफल हेक्टेयर, खातेदार की श्रेणी, जाति जिनसे भूमि लेना है और खातेदार का नाम और पता देना होता था।

इसके चलते उद्यमियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए अब उनसे सिर्फ पांच जानकारियां ही ली जाएंगी, इसमें उसे केवल जिला, तहसील, परगना, ग्राम, सटा हुआ ग्राम और क्षेत्रफल ही बताना होगा। इसके आधार पर ही उद्यमी को जमीन लेने की अनुमति दे दी जाएगी।

दान वाली संपत्तियों में नहीं बताना होगा नाम

मौजूदा समय दान आदि की संपत्तियों को लेने के लिए लेनदार का नाम बताना जरूरी है। यह सुविधा देने की तैयारी है कि बिना नाम बताए ऐसी संपत्तियां ली जा सकें। इसमें उसे अर्जन की रीति, विक्रय, दान आदि के साथ यह बताना होगा कि संबंधित जमीन का इस्तेमाल किस उपयोग में किया जाएगा। आवेदक को अपने नाम पते के साथ ही विस्तृत जानकारी देनी होगी, जिससे यह पता चल सके कि जमीन लेने वाला कौन है।

उद्यमियों को गैर जरूरी एनओसी नहीं लेनी होगी

उद्यमियों को सुविधा देने के लिए इसके साथ ही गैर जरूरी अनापत्तियां लेने की अनिवार्यता भी समाप्त की जा रही है, जिससे भू-उपयोग बदलने में अधिक समय न लगे। मौजूदा समय अधिकारियों के बंटवारा होने और अनापत्तियां लेने के चक्कर में भू-उपयोग बदलने में काफी समय लग रहा है। राजस्व विभाग ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के पहले इसे कैबिनेट से मंजूर कराने की तैयारी कर रहा है।